

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2401 / 2016 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, वृत-डी, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राजा रामदेव स्टील ट्रेडर्स,  
बासनी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एस.आर. लूनकर,

अधिकृत अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से  
निर्णय दिनांक: 29.11.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 47/आरवेट/जेयूडी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत-द, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति 1,38,990/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत-डी, जोधपुर द्वारा दिनांक 16.10.2015 को वाहन संख्या आरजे-19जीई-2597 को चैक किया। परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा केसरिया फ्रेट कैरियन नई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी संख्या 42755 दिनांक 14.10.2015 व मैसर्स गोस्वामी इंजीनियरिंग वर्क्स, गाजियाबाद का बिल नं. 62 दिनांक 14.10.2015 तथा घोषणा पत्र वेट-47 नं. 4686249 दौहरी प्रतियों में पूर्ण रूप से भरा हुआ जो विभाग द्वारा 11.07.2014 को जारी एवं 2 वर्ष के लिये मान्य पेश किये। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ प्रत्यर्थी फर्म जिसका वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 25 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर होने से अधिसूचना क्रमांक एफ-16(463)पीटी-I/ वेट/टैक्स सीसीटी/2013/ 5693 दिनांक 14.05.2015 सपठित रा.म.प.क. अधि., 2006 के नियम 53(1) की पालना में दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसरण में ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिकली जारी घोषणा पत्र वेट-47ए नहीं पाये जाने के कारण ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र के अभाव में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होने से वाद कायम कर जांच अधिकारी ने प्रकरण उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर जोधपुर के आदेश द्वारा पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत प्रतिउत्तर को अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा

अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल कीमतन रूपये 4,63,300/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 1,38,990/- प्रत्यर्थी फर्म के विरुद्ध आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी-राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.16(46)पीटी. 1/वेट/टैक्स/सीसीटी/2013/5093 दिनांक 14.05.2015 के अनुसार ऐसे व्यवहारी जिनका वर्ष 2014-15 में अथवा उत्तरोत्तर वर्ष में टर्न ओवर 25 लाख से अधिक होने पर नोटिफाई गुड्स वेट 47-ए ऑनलाईन अथवा Indentification number जो ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त करके साथ परिवहनित किया जाना आवश्यक है जो नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्म के उक्त कृत्य को अपवंचना मानते हुए ही शास्ति का आरोपण किया जो विधिसम्मत है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा लिखित में प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रेषक फर्म को पूर्व में वेट-47 भेजा गया था, माल के साथ लगाकर भेज दिया गया था। जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र साथ नहीं लगा पाये। प्रतिउत्तर के साथ ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट-ई47 प्रस्तुत कर दिया था। जाँच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मैनुअली जारी वेट-47 को बाद जांच गलत/मिथ्या साबित नहीं किया। माल के दस्तावेज बिल एवं बिल्टी के अलावा ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट-47ए नहीं होने का मुख्य कारण प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में विभाग से प्राप्त मैनुअली घोषणा पत्र वेट-47 प्रेषक के यहा भेजे हुए थे, जिनके सभी कॉलमों की पूर्ति की जाकर माल के साथ संलग्न किया गया था। प्रत्यर्थी ने विभाग द्वारा जारी विधिक घोषणा पत्र संलग्न किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल (2001) 124 एस.टी.सी.पेज 611, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित केरा टेक इण्डिया बनाम स.वा.क.अ. भिवाडी (2013)35 टेक्स अपडेट 49 तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित न्यायिक दृष्टान्त स.वा.क.अ. बनाम भोले बाबा मिल्स फूड इण्डिया जोधपुर (2013) 36 टेक्स अपडेट 227 व चम्बल वेली एग्रो प्रा0लि0, धौलपुर बनाम स.वा.क.अ. (2011) 45 टैक्स वर्ल्ड 46 आदि न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा केसरिया फ्रेट कैरियन नई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी संख्या 42755 दिनांक 14.10.2015 व मैसर्स गोस्वामी इंजीनियरिंग वर्क्स, गाजियाबाद का बिल नं. 62 दिनांक 14.10.2015 तथा घोषणा पत्र वेट-47 नं. 4686249 दौहरी प्रतियों में पूर्ण रूप से भरा हुआ जो विभाग द्वारा 11.07.2014 को जारी एवं 2 वर्ष के लिये मान्य पेश किये। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ प्रत्यर्थी फर्म जिसका वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 25 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर होने से अधिसूचना क्रमांक एफ-16(463)पीटी-1/ वेट/टैक्स सीसीटी/2013/ 5693 दिनांक 14.05.2015 सपठित रा.म.प.क. अधि.,2006 के नियम 53(1) की पालना में दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसरण में ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिकली जारी घोषणा पत्र वेट-47ए नहीं पाये जाने के कारण ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र के अभाव में शास्ति आरोपित की गयी। जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मैनुअली जारी वेट-47 को बाद जांच गलत/मिथ्या साबित नहीं किया। प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में विभाग से प्राप्त मैनुअली घोषणा पत्र वेट-47 प्रेषक के यहा भेजे हुए थे, जिनके सभी कॉलमों की पूर्ति की जाकर माल के साथ संलग्न किया गया था। प्रत्यर्थी ने विभाग द्वारा जारी विधिसम्मत घोषणा पत्र भी संलग्न किया था। इन सब तथ्यों का नजर अन्दाज कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। जांच अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध होने संदेह था तो दस्तावेज के genuine होने के संबंध में जांच की जानी थी, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा नहीं कर शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने इन समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त करने के किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलार्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

नरेश म  
( नरेश म )  
सदस्य